न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/78

रामदेव आत्मज बाला जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1.कजोड आत्मज बालू उर्फ बाला जाति कुम्हार निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
2.सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1). दिनेश पारिक– अधिवक्ता अपीलांट
(2). आशुतोष शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1
(3). पैरोकार सरकार–रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय दिनांक 15.06.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी के प्रकरण संख्या 65/2018 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बाबई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 315 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा संख्या 316 रकबा 0.11 हैक्टेयर खसरा संख्या 317 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.06 हैक्टेयर(गे0मु0वा0), खसरा नम्बर 321 रकबा 1.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.63 हैक्टेयर किता 9 रकबा 4.32 हैक्टेयर वाके ग्राम बाबई(नया) तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान मे स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज है। वाद वर्णित भूमि के सेटलमेंट से सर्वे

सम्वत 2041–60 के पूर्व के खसरा नम्बर 657/748, 657/749 थे। उक्त भूमि पट्टा कमांक 2174 दिनांक 30.05.1976 से खसरा नम्बर 657/749 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा का आवंटन किया गया था उक्त आवंटन का नामान्तरकरण खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 मे दर्ज है। सेटलमेंट सर्वे के दौरान सहवन से वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खाता कायम कर दिया। वादी को उक्त आवंटित 11 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 1.73 हैक्टेयर कृषि भूमि खसरा संख्या 322, 323, 324 सम्पूर्ण खसरा संख्या 320 रकबा 0.06 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 321 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर मे से 0.56 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी की गैरखातेदारी पृथक से दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलती से प्रतिवादी के नाम दर्ज कर दी। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी ने वादी को उक्त आवंटित भूमि पर जुताई से मना कर दिया और अन्त मे निवेदन किया कि वादी को आवंटित भूमि गत खसरा नम्बर 657/748 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 322 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.63 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं खसरा संख्या 320 रकबा 0.06 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 1.15 हैक्टेयर मे से 0.56 हैक्टेयर कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर कृषि भूमि का गैर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि उक्त खसरा नम्बरान मे वादी को काश्त करने मे दखल न तो स्वयं करने न किसी अन्य से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब की गई। दिनांक 22.10.2021 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। अपीलांट पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की जानकारी दिनांक 28.11.2021 को उनके अधिवक्ता से प्राप्त हुई। दिनांक 28.11.2021 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रमाणित प्रति दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त की। तत्पश्चात कोरोना काल होने से अपील पेश नहीं कर सका। प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हे। अतः न्यायहित मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाति है।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने बाद तामील न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वादपत्र के अभिवचन की पुष्टि की, इस प्रकार वादी का वाद पूर्णतया प्रमाणित था किन्तु वादी का वाद दिनांक 22.10.2021 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवेचना करते हुए खारिज किया जाकर डिक्री किया गया कि वादी यह सिद्ध करने मे असफल रहा है कि उसे आवंटित भूमि का अमल राजस्व रिकॉर्ड मे गलत दर्ज हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री वस्तुस्थिति एवं कानून के आधारभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र के अभिवचन राजस्व रिकॉर्ड आवंटन आदेश एवं वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामे से पूर्णतया प्रमाणित होने से भी वादी का वाद खारिज किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी एवं वाकयाती त्रुटी की गई है और निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। वादपत्र मे किये गये अभिवचनों के विरूद्ध उन्हें खण्डित करने की साक्ष्य पत्रावली पर प्रकट नहीं हुई फिर भी वादपत्र खारिज किया जाकर कानूनी भूल की गई है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे अपीलांट के कथनो का समर्थन किया। साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। खसरा संख्या 322, 323, 324 के सम्पूर्ण भू–भाग पर तथा खसरा नम्बर 320 रकबा 0.06 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 321 रकबा 1.15 हैक्टेयर मे से 0.56 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने का कथन किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

8. पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वर्तमान मे विवादित भूमि गैर खातेदारी मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 मे वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम बाबई के नवीन खसरा नम्बर 320, 321, 322, 323, 324 गत खसरा नम्बर 657/749 से बने है जबकि वादी को खसरा संख्या 657/748 का आवंटन किया

गया था। इस प्रकार वादी यह सिद्ध करने मे असफल रहा है कि उसको आवंटित खसरा संख्या 657/748 का अमल राजस्व रिकॉर्ड मे कजोड़ की खातेदारी की भूमि मे हो गया है जो गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 विधि सम्मत है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। वादी अपीलांट रामदेव को खसरा नम्बर 657/748 की रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है जिसके सम्बंध मे जारी पट्टा दिनांक 30.05.1976 पत्रावली की प्रमाणित प्रति व आवंटन पत्र की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, जिसकी पालना मे नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 20.10.1977 से वादी अपीलांट रामदेव पुत्र बाला को गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। पट्टा दिनांक 30.05.1976 से खसरा नम्बर 657/749 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि कजोड़ पुत्र बाला को आवंटित हुई है, जिसे नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 20.10.1977 से कजोड़ पुत्र बाला की गैर खातेदारी मे दर्ज किया गया। उक्त दोनो भू–आवंटन का नोट खसरा गिरदावरी सम्वत 2033 से 2036 मे भी अंकित होना पाया जाता है। परंतु कोई निर्धारित नामान्तरकरण की प्रति तथा प्रश्नगत नामान्तरकरण के अमल के पश्चात की कोई जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड के रूप मे प्रस्तुत नहीं की। केवल नामान्तरकरण का नोट खसरा गिरदावरी मे एक कॉलम में अंकित है। वादी अपीलांट की अपील मे अंकित किया गया है कि भू–प्रबन्ध के दौरान दोनो भाईयों को आवंटित भूमि के अलग–अलग खाते नहीं बनाकर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कजोड़ के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी गई, इसके संबंध मे तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 के अनुसार कजोड़ द्वारा अपने कब्जा काश्त के खसरा नम्बर 315, 316, 317, 319 रामदेव के पुत्रों भैरू व जीतमल को मुनाफा काश्त पर दिये जाने का अंकन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 कजोड़ द्वारा राजीनामा दिनांक 28.06.2019 से वादपत्र के अभिवचन की पुष्टि करते हुए खसरा नम्बर 322 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 रकबा 0.63 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 320 रकबा 0.06 मे से 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 321 की रकबा 1.15 हैक्टेयर मे से 0.56 हैक्टेयर भूमि वादी रामदेव के नाम खाते हेतु सहमति दी गई। पत्रावली मे उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324 कुल किता 9 कुल रकबा 4.32 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 657/749 से बने है जो कजोड़ पुत्र बाल्या को आवंटित होकर गैर खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु उक्त आराजीयात मे से खसरा नम्बर 320 रकबा 0.06 हैक्टेयर मे से 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 की रकबा 1.15 हैक्टेयर मे से 0.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 की 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 323 की रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 324 की 0.63 हैक्टेयर कुल 1.73 हैक्टेयर भूमि पर वादी अपीलांट रामदेव के वारिसान का कब्जा होना बताया गया है। वादी ने खसरा नम्बर 657/749 का मिलान

क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। वादी अपीलांट द्वारा स्वयं को आवंटित खसरा नम्बर 657/748 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर क्या बने है? वर्तमान मे किसके कब्जे–काश्त व खातेदारी मे दर्ज है? इस सम्बंध मे राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि वादी ने आवंटन पत्र का विधिवत् नामान्तरकरण व राजस्व जमाबंदी मे उक्त नामान्तरकरण का अमल सम्बंधी दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी अपनी आवंटित भूमि के संबंध मे वाद सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2021 से सहमत है तथा इसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 65/2018 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2021 यथावत रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/78

रामदेव आत्मज बाला जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।

– अपीलांट

बनाम

1. कजोड आत्मज बालू उर्फ बाला जाति कुम्हार निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।
2. सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।

–रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 65/2018

रामदेव आत्मज बाला जाति कुम्हार निवासी ग्राम बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।

——वादी

बनाम

1. कजोड आत्मज बालू उर्फ बाला जाति कुम्हार निवासी बाबई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।
2. सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज.)।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 65/2018 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय**

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 15.06.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दिनेश पारिक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री आशुतोष शर्मा अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.10.2021 बहाल रखी जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 15.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा